



Neutral Citation No. - 2026:AHC:63997

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 10392 वर्ष 2026

रोहित उर्फ कल्लू

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: अमजद रजा, चंद्रकांत त्रिपाठी, रमन पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची पुनरीक्षित की गई है।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री चंद्रकांत त्रिपाठी और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री अरुण कुमार मिश्रा की बात सुनी गई और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

3. यह जमानत याचिका आवेदक की ओर से **मुकदमा अपराध संख्या 166/2025**, धारा 70(1), 76, 115(2) के तहत, **पुलिस स्टेशन-** मिश्राउलिया, **जिला -** सिद्धार्थनगर में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत की मांग करते हुए दायर की गई है।

अभियोजन पक्ष का विवरण:

4. 02.12.2025 को लगभग रात 9:00 बजे, आवेदक ने कथित तौर पर पीड़िता का मुंह बंद कर दिया, उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया और उसकी इज्जत पर हमला किया जब वह शौच के लिए गई थी।

आवेदक की ओर से दलीलें:

5. आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका एफआईआर में लगाए गए उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है।

6. एफआईआर दर्ज करने में लगभग दस घंटे की देरी हुई है और इस देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. शुरू में आरोप मानहानि के थे, लेकिन पीड़िता ने अपने बयान में, जो धारा 180 और 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज कराया गया है, कानूनी सलाह के बाद इन्हें बलात्कार के आरोप में बदल दिया है।

8. यह मामला स्थानीय ग्राम प्रधान के कहने पर आवेदक पर थोपा गया है, क्योंकि आवेदक ने ग्राम प्रधान के विरोधी दल का समर्थन किया था।

9. पीड़िता ने ग्राम प्रधान के कहने पर धारा 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज अपने बयान में आवेदक का नाम दर्ज कराया है, इसलिए आवेदक जमानत का हकदार है।

10. आवेदक की चिकित्सकीय जांच भी कराई गई है और उसके शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई है।

11. आवेदक 3 दिसंबर 2025 से जेल में बंद है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

राज्य की ओर से दलीलें:

12. जमानत याचिका का पुरजोर विरोध इस आधार पर किया गया है कि पीड़िता के महत्वपूर्ण अंगों पर चोट लगी है।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. यह स्वाभाविक है कि पीड़िता ने शर्मिंदगी के कारण और सार्वजनिक आक्रोश से बचने के लिए एफआईआर में सभी विवरण नहीं दिए होंगे।

निष्कर्ष:

14. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों और पीड़िता की चिकित्सा रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, जिसमें यह दर्शाया गया है कि उसके महत्वपूर्ण अंगों पर चोट लगी है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं पाता।

15. तदनुसार, जमानत याचिका **खारिज** की जाती है।

16. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले का शीघ्र निपटारा किया जाए, जैसा कि **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य 2015 (3) एससीसी 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ (2017) 5 एससीसी 702** के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णयों में निर्धारित सिद्धांत के अनुसार है, यदि कोई कानूनी बाधा नहीं है।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



26 मार्च, 2026

सिद्धांत

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।